वैदिक मंत्रोउच्चारण, शंखनांद और ईश्वर की शपथ के साथ अध्यक्ष और पार्षदों ने पद और गोपनियता की शपथ

स्वच्छ-सुंदर और विकसित कवर्धा शहर की परिकल्पनाओं को साकार किया जाएगा: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

कवर्धा (आरएनएस)। कवर्धा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी सहित पार्षदों को बहुत ही यादगार और अनोखे अंदाज में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कबीरधाम जिले के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के पुजारियों के वैदिक मंत्रोउच्चार, शंखनांद और ईश्वर की शपथ के साथ शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय और विशेष रूप से आमंत्रित राजीव लोचन जी महराज विशेष रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अध्यक्ष सहि सभी पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, राजेन्द्र चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, कैलाश चंद्रवंशी, डॉ. वीरेन्द्र साहू ईश्वरी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल ठाकुर, देवकुमारी चंद्रवंशी, गोपाल साहू, सतविंदर पाहुजा, क्रांती गुप्ता सहित समस्त जनप्रतिनिधि, मंदिर के पुजारी, समाज प्रमुख, स्व सहायता समूह की दीदीया, कवर्धा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी की कार्यशैली और उनके समर्पण की सराहना की। विजय शर्मा ने कहा कि वे एक जननेता हैं और युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत के रूप में उभरे हैं। उनका कार्य केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कवर्धा शहर के प्रत्येक वर्ग युवाओं, बुजुर्गों, माताओं-बहनों, व्यापारियों सहित सभी समुदायों के साथ मिलकर काम किया है। वे ऐसे मिलनसार नेता हैं, जिन्होंने प्रचंड मतों से चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जिस दिन चुनाव परिणाम आया, उस दिन सुबह से ही कवर्धा शहर की सडक़ों पर काम करते हुए दिखाई दिए थे। यह उनके समर्पण और मेहनत का प्रतीक है। वे हमेशा शहर के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए चिंतित रहते हैं और इस समय भी वे शहर के विकास के मुद्दों पर सोच-विचार कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में कवर्धा नगर पालिका में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। कबीरधाम जिले के सभी नगरीय निकायों में जनादेश के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनगी है। अब और तेज गति के साथ पूरे जिले का जन आकांक्षाओं के साथ समुचित विकास की अवधारणाओं के पूरा किया जाएगा। कवर्धा नगर पालिका में व्यवस्थागत सुधार होंगे और यहां की नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कवर्धा में बड़ी परियोजनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। कई करोड़ों रुपए की विकास कार्य चल रहें है, जो शहर के विकास को नई दिशा देने में सहायक होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि विष्णुदेव सरकार ने कवर्धा में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे शहर के नागरिकों को और भी बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल सकेंगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी के नेतृत्व में आने वाले समय में कवर्धा को एक बेहतर, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने का विश्वास जताया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने शपथ ग्रहण के बाद अपने संकल्प को साझा करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कवर्धा शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाना है। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी नगर पालिका टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि कवर्धा को एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट कीं और उम्मीद जताई कि वे शहर के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना रहेगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

दुष्कर्मी को 2 घंटे में किया गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। महिला संबंधी अपराधों में शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस कार्रवाई करने में गंभीरता दिखा रही है। कटघोरा पुलिस ने ग्राम सलोरा के रहने वाले 25 वर्ष के निकेश केवट पिता होरीलाल केवट को अनाचार के प्रकरण में गिरफ्तार किया और जेल का रास्ता दिखा दिया। एक पीडिता के द्वारा इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया था। कहा गया था कि झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश काफी समय से मिले हुए हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रकरण में हमने 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया और अगली कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के साथ और भी तरीके अमल में लाए जा रहे हैं ताकि सही समय पर सूचना प्राप्त हो और इन पर प्रभावी ढंग से काम हो सके।

धारदार चाकू के साथ आरोपी हेमंत साहू गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत धनवंतरी मेडिकल स्टोर ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी हेमंत साहू पिता लेख राम साहू उम्र 23 साल साकिन फुलवारी चौक रावांभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग लोहे का बटनदार धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 234/25 धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरौदपुरी धाम में 4 से 6 तक होगा गुरूदर्शन मेला

रायपुर (आरएनएस)। गिरौदपुरी धाम में इस वर्ष तीन दिवसीय गुरूदर्शन मेला का आयोजन 4 से 6 मार्च 2025 तक होगा। मेला आयोजन समिति की बैठक धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब की अध्यक्षता में जिला पंचायत बलौदाबाजार के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजमाता गुरु प्रवीण माता जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, राजमहंतगण, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब ने बैठक में कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के सम्मान में आयोजित गिरौदपुरी मेला सबकी भागीदारी से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाएगा।

कलेक्टर धर्मेश साहू द्वारा सुधार के लिए समय देने के बाद खनिज संस्थानों पर जांच जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी क्रेशर मालिकों के साथ 28 जनवरी को बैठक कर उन्हें आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य सभी कानूनों, आदेशों, नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए थे। सुधार कार्य करने के लिए लगभग माह भर का समय देने के बाद, नगरीय और पंचायत चुनाव सम्पन्न होने पर कलेक्टर ने सभी माइनिंग संबंधी स्थानों का जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर के निर्देश पर विगत दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों पर स्वीकृत उत्खनिपट्टा अनुज्ञापत्र का राजस्व एवं खनिज अमला द्वारा सघन जांच किया गया। तहसील सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम टिमरलगा एवं गुडेली में स्वीकृत खनिज चूना पत्थर भंडारण एवं खदानों का निरीक्षण किया गया जांच के दौरान खनिज नियमानुसार अनियमितता एवं उल्लंघन पाए जाने के फल स्वरुप 01 क्रशर को कारण बताओ नोटिस एवं 01 खदान मेसर्स मनोज सिंह ग्राम टिमरलगा में सीलबंद की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के द्वारा तहसील बरमकेला में स्वीकृत भण्डारण राधिका मिनरल्स का जांच किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ के द्वारा तहसील बिलाईगढ़ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त 03 मशीन एवं 04 वाहनों को जप्त कर थाना भटगाव, थाना बिलाईगढ़ एवं मशीनों को ग्राम कोटवार के सुरक्षार्थ में दिया गया है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 के तहत् की गयी। तहसील सरसीवा के अंतर्गत ग्राम सोहागपुर डुरूमगढ़ एवं खपरीडीह मे स्वीकृत खनिज चूना पत्थर भंडारण क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान संचालनकर्ता के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में अनियमितता एवं उल्लंघन पाए जाने के फल स्वरुप मेसर्स राज राजेश्वरी क्रशर उघोग सोहागपुर को सीलबंद की कार्वाई की गई तथा जप्त खनिज को खदान मुंशी के सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ग्राम खपरीडीह में स्वीकृत भण्डारण मेसर्स संदीप स्टोन क्रशर स्थल का निरीक्षण किया गया तथा छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 के तहत् अनियमिता एवं शर्तो के उल्लंघन फलस्वरुप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस तरह कुल 04 स्वीकृत क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें 01 खदान एवं 01 क्रशर पर सीलबंद की कार्यवाही कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा की जा रही है।

नगर पालिक निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों ने ली शपथ

अम्बिकापुर | आरएनएस

नगर पालिक निगम अंबिकापुर पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में आज नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर विलास भोसकर ने नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत एवं पार्षदों को 8-8 के समूह में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने नव निर्वाचित महापौर मंजूषा भगत एवं पार्षदों को बधाई देकर नगर विकास के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम अंबिकापुर के महापौर एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में हम सब साक्षी बने, कार्यक्रम में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, मंत्री रामविचार नेताम एवं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज एवं विधायकों की उपस्थिति में शपथग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर उन्होंने कहा कि महापौर एवं पार्षदों के लिए जनता से बहुत बड़ा विश्वास मिला है। हमारे महापौर और पार्षद जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे, हमने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया था उसे हमारी सरकार पूरा करेगी।

कोल्हेनझरिया कलस्टर के ग्रामों में 01 से 07 मार्च तक सुशासन शिविर का होगा आयोजन

जशपुरनगर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप राज्य शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के विकासखंड फरसाबहार में कोल्हेनझरिया कलस्टर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्यवन एवं विभागों की संतृप्तिकरण हेतु सुशासन शिविर का आयोजन 1 मार्च से 07 मार्च तक किया जा रहा है।

बाजारडाड़ के समीप, 02 मार्च को ग्राम पंचायत जोरण्डाझरिया के हाईस्कूल मैदान परिसर में, 03 मार्च को ग्राम पंचायत महुआडीह के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में, 04 मार्च को कोलेनझरिया या सम्मिलित ग्राम पंचायत जामटोली हेतु सायपुरडीह के प्राथमिक शाला परिसर में, 05 मार्च को ग्राम पंचायत हाथीबेड़ के प्रा.शाला परिसर में, 06 मार्च को ग्राम पंचायत कुल्हारबुड़ा के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में तथा 07 मार्च को ग्राम पंचायत कोल्हेनझरिया के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन प्रातः 10:30 बजे से सायं 4 बजे तक किया जाएगा। इसी तरह 07 मार्च को ग्राम पंचायत कोल्हेनझरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन प्रातः 10:30 बजे से सायं 4 बजे तक किया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने यातायात नियमों का पालन नही करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही कार्यवाही

विगत 02 माह में 2104 वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही,एवं 684 वाहन चालकों के विरुद्ध इस्तागासा तैयार कर मान.न्यायालय किया गया प्रस्तुत

धमतरी | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात सुमोनिका मरावी के नेतृत्व में दुर्घटनारहित सुगम, सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

यातायात नियमों का पालन नही करने से सडक़ दुर्घटना की घटना घटित होती है, सडक़ दुर्घटना में दुर्घटना मृत्यु में कमी लाने, आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में विगत 02 माह में 2104 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई है, इसके अतिरिक्त 684 वाहन चालकों के विरूद्ध इस्तागासा तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही में बिना हेलमेट के चलने वाले 92 वाहन चालक, बिना सीटबेल्ट के 413, बिना लायसेंस के 24, मालयान में सवारी में बिठाकर चलने वाले 100 वाहन चालक, तीन सवारी चलनें वाले 227,, प्रेशर हार्न का प्रयोग कर वाहन चलाने वाले 125 वाहन चालक, तेजगति से वाहन चलाने वाले 39 वाहन चालकों, शराब सेवन कर चलने वाले 40 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

उक्त कार्यवाही से निश्चय ही सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं वाहन चालकगण यातायात नियमों के पालन करेगें, यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

यातायात पुलिस सभी आमजन, वाहन चालको से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें और असुविधा से बचें।

सूना मकान पाकर चोरी करने वाले आरोपी को मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार

न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन मे की गई कार्यवाही

मुंगेली | आरएनएस

थाना सिटी कोतवाली मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम मानपुर स्थित सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी तुलेश्वर महिलांग से 36000 रूपये नगद एवं घटना मे प्रयुक्त हसिया को किया गया बरामद। जिला मुंगेली थाना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम मानपुर निवासी प्रेमकुमार महिलांग पिता मोहन महिलांग उम्र 30 वर्ष जो दिनांक 20.02.2025 को अपने बुआ सम्मत बाई के साथ ग्रामीण बैंक मुंगेली से 01 लाख रूपये निकालकर लाया था, जिसमे से 50 हजार रूपये को बुआ सम्मत बाई को दिया था और 50 हजार रूपये को अपने घर के आलमारी में लाकर रखा था कि दिनांक 21.02.2025 के सुबह 06 बजे अपने परिवार सहित खेत मे काम करने गया था लगभग 11 बजे प्रेमकुमार अपने परिवार सहित खेती कर वापस अपने घर आया तो देखा कि घर के पीछे का दरवाजा खुला एवं कमरे का आलमारी का लॉकर टुटा हुआ था आलमारी में रखे 50 हजार को मकान सुना पाकर कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर अपराध क्र. 75/25 धारा 331(3), 305 (ए) बीएनएस के तहत थाना सिटी कोतवाली मे दर्ज कर विवेचना मे लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली मयंक तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा घटना के संबंध में बारिकी से जांच कर आसपास के पड़ोसी का कथन लिया गया तथा मुखबीर द्वारा पड़ोस मे रहने वाले तुलेश्वर महिलांग को आसपास घुमते देखना एवं संदेह जाहिर किया गया, विवेचना दौरान तुलेश्वर महिलांग से पुछताछ करने पर मेमोरण्डम कथन मे घटना दिनांक को मकान सूना पाकर प्रार्थी प्रेमकुमार के घर ऑलमारी में रखे पैसे को चोरी करना स्वाकीर करने बताया व चोरी किये रकम को ग्राम निरजाम वाले रास्ते मे पुल के नीचे से 36000 रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त हसिया को पेश करने पर बरामद किया गया व शेष पैसे को खर्च करना बताया गया, आरोपी तुलेश्वर महिलांग पिता राजकुमार महिलांग उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी मानपुर के द्वारा घटना कारित करना पाये जाने पर दिनांक 02.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जा रहा दवा सेवन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन 13 मार्च तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत 27 से 2 मार्च तक बूथ लगाकर दवा सेवन आंगनवाड़ी स्कूल एवं शैक्षिक संस्थानों में दवा सेवन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सारंगढ़ ब्लॉक के दुर्गापाली में मितानिन द्वारा बूथ लगाकर फाइलेरिया दवा सेवन कराया गया। यह फाइलेरिया की डीईसी दवा 2 साल से कम बच्चों को और गर्भवती माता को नहीं खिलाना है। 2 साल से कम बच्चों को अल्बेनडाजोल की आधी गोली खिलाना है। जिले के शहर और गांव में मितानिन और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा फाइलेरिया से बचाव की जानकारी आमजनों को दी जा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि फाइलेरिया (हाथी पांव) बीमारी मच्छर के काटने से होता है। मच्छर पनपते कैसे है और बीमारियां फैलाती कैसे है। मच्छर जनित रोगो में मुख्यतः मलेरिया, फाइलेरिया , डेंगू , चिकनगुनिया जीका , जापानिस इंसेफेलाइटिस आदि बीमारियां होती है। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर घर में या घर के आसपास बहुत से ऐसे जगह मिल जाता है, जहां मच्छर अपने अंडे देती है ऐसे स्थानों में पुराने बर्तन के, पुराने टायर, गमले , कूलर में बहुत दिनों तक पानी भरा हुआ रखना, गद्दे, पोखर, बोरिंग के पास या नल के पास पानी का जमा हुआ रहना मच्छर अक्सर ऐसे ही स्थिर पानी की खोज में रहते है। मच्छर के प्रजनन के लिए जमा हुआ पानी या हल्का मंद गति से बहता हुआ पानी ही पसंदीदा जगह होता है। रुका हुआ पानी की सतह में पानी साफ होता है। मच्छर दो प्रकार के होते है एक नर मच्छर और दूसरा मादा। मच्छर मादा मच्छर नर से साइज में कुछ बड़ा होता है और नर की तुलना में मादा ज्यादा दिन तक जीवित रहता है। मादा मच्छर खून पीता है और अपने वजन से तिगुना वजन तक खून को पीता है, जब तक उनका पेट नही भरता तब तक मादा मच्छर काटते रहता है और खून पीते रहता है। नर मादा की मिलन उड़ते समय हवा में होती है। मादा मच्छर के कारण होता है। मादा मच्छर 6 सप्ताह तक जीवित रहता है। मादा मच्छर के काटने के दौरान ही परजीवी को मानव शरीर में छोड़ता है और एक सामान्य मनुष्य को संक्रमित करता है बहुत से मच्छर वायरस को फैलता है जैसे डेंगू वायरस ,जीका वायरस ,चिकनगुनिया वायरस है जबकि मलेरिया की बीमारी एक प्रकार की परजीवी जिसे प्लास्मोडियम कहते है एवम फाइलेरिया के बीमारी भी एक परजीवी से होता है जिसे आउचेरिया ब्रांकाफ्ताई एवम ब्रूसिया मलाई के कारण होती है। मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपाय में 2 तरीके है पहला मच्छर के अंडे जब लार्वा के अवस्था में होते है उसी समय स्थिर पानी में लार्विसिडल पदार्थ डाले जिसमे मुख्यत मिट्टी तेल या जला हुआ मोबाइल ऑयल या फिर कोई लार्वा मारने की दवाई की छिड़काव ,इसी अवस्था में पोखरों आदि में एक प्रकार की मछली होती है जिसे गंबूजिया मछली कहते है। पानी में डालने से मछली मच्छर के लार्वा को खा लेते है परिणाम जमे हुए पानी या स्थिर पानी की लार्वा मछली द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU